भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1275**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**दत्तक ग्रहण के लिए किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन**

**1275. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकृति देने हेतु न्यायालयों के बदले जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को सक्षम प्राधिकारी बनाने के लिए अनुमोदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम जेजे अधिनियम 2015 की धारा 61 में व्‍यवस्‍था की गई है कि दत्‍तकग्रहण को याचिका दाखिल करने की तारीख से दो माह के भीतर न्‍यायालय के आदेश द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि, दत्‍तक ग्रहण की कई कार्यवाहियों में विलम्‍ब देखा जा रहा है। मंत्रालय ने ‘’न्‍यायालय’’ को ‘’जिला मजिस्‍ट्रेट’’ में बदलने के लिए जेजे अधिनियम 2015 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्‍ताव किया है। इस समय यह प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन है। मंत्रालय संसद में किशोर न्‍याय अधिनियम संशोधन विधेयक 2018 लेकर आया है।

\*\*\*\*\*\*\*